# न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का आरूआ बनाम ..........

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :– 25/22 निर्णय दिनाँक :– 20/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रानोटा की आ॰ख॰न॰ 112 कुल रकबा 3.0080 किस्म जमीन गैरमु॰ तलाई में से 0.1580 रकबे पर श्री राजवीर S/O अरजन जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर .......... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का आरूआ द्वारा दिनाँक 6/5/22 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ आरूआ/धारोंधा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी राजवीर S/O अरजन जाति जाट निवासी रानोटा को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .......... उपस्थित नही आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 112 रकबा 3.0080 में से 0.1580 रकबे किस्म गैरमु॰ तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 2.79 का 50 गुणा 140/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी आरूआ भू॰अ॰निरी॰ धारोंधा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)